रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220628 CG-DL-E-22072020-220628

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] No. 262] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

फा.सं.एनआईडीए-जीसी-143-144-2016(अ).—राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 28 और 29 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचालन परिषद्, कुलपित के पूर्वानुमोदन से, एतदद्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद की प्रथम संविधि में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ- (1) इन संविधियों को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद की प्रथम संविधि (संशोधन), 2020 कहा जाए।
 - (2) ये संविधियां इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।
- 2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, 2017 की पहली संविधि (इसके बाद इसे संविधियां कहा गया है) में संविधि 2, खंड (1), उप-खंड (ख) में 'अनुसंधान और प्रकाशन' शब्दों के बाद 'एकीकृत डिजाइन सेवाएं' शब्द जोड़े जाएंगे।
- 3. उक्त संविधियों में, संविधि 14, खंड (1) में-
 - (i) उप-खंड (ख) में 'फोटोग्राफी और प्रदर्शनी डिजाइन' शब्दों के स्थान पर 'फोटोग्राफी डिजाइन और प्रदर्शनी डिजाइन' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) उप-खंड (ग) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, नामत:-

3226 GI/2020 (1)

- '(ग) वस्त्र, परिधान और जीवनशैली संबंधी वस्तु डिजाइन संकाय जो वस्त्र डिजाइन, परिधान डिजाइन और जीवनशैली संबंधी सहायक वस्तुओं में विशेषज्ञता में अग्रणी हो।'
- 4. उक्त संविधियों में, संविधि 29, खंड (2) में परंतुक में 'विषय समन्वयक'शब्दों के स्थान पर 'विषय प्रमुख' शब्द रखे जाएंगे।
- 5. उक्त संविधियों में संविधि 31 में, खंड (घ) में 'शैक्षणिक अध्यक्ष' शब्द के स्थान पर 'क्रियाकलाप अध्यक्ष, शिक्षा' शब्द रखे जाएंगे।

प्रवीण नाहर, निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./120/2020-21]

नोट: मुख्य संविधि फा.सं. एनआईडीए-जीसी-143-144-2016 (अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुई थी।

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

- **F. No. NIDA-GC-143-144-2016(E).**—In exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 14 read with sections 28 and 29 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Governing Council, with the previous approval of the Visitor, hereby makes the following amendments to the First Statutes of the National Institute of Design, Ahmedabad, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These Statutes may be called as the First Statutes of the National Institute of Design, Ahmedabad (Amendment), 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the first Statutes of National Institute of Design, Ahmedabad, 2017 (hereinafter referred to as the said statutes) in Statute 2, in clause (1), in sub-clause (b) after the words "research and publication", the following words "integrated design services" shall be inserted.
- **3.** In the said Statutes, in Statute 14, in clause (1),-
 - (i) in sub-clause(b) for the words "Photography and Exhibition Design", the following words "Photography Design and Exhibition Design" shall be substituted;
 - (ii) for sub-clause(c), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(c) Faculty of Textile, Apparel and Lifestyle Accessory Design leading to specialisation in Textile Design, Apparel Design and Lifestyle Accessory Design;".
- **4.** In the said Statutes, in Statute 29, in clause (2), in proviso for the words "Discipline Coordinator" the following words "Discipline Lead" shall be substituted.
- **5.** In the said Statutes, in Statute 31, in clause (d) for the words "Academic Chairperson", the following words "Activity Chairperson, Education" shall be substituted.

PRAVEEN NAHAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./120/2020-21]

Note: The Principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide F.No.NIDA-GC-143-144-2016(E) dated 17th January, 2017.